<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.-59/13</u> <u>संस्थापित दिनांक-01.03.2013</u> Filling num-235103004162013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1- रविन्द्र पुत्र प्यारेराजा उम्र 30 साल 2- कल्लू उर्फ नरेन्द्र पुत्र प्यारेराजा उम्र 23 साल निवासीगण – ग्राम पहाडपुर चंदेरी

-: <u>निर्णय</u>:-

<u>(आज दिनांक 07.04.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 506बी, 324/34, 323/34, भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 13.02.2013 को सुबह 7 बजे पहाडपुर कोमल लोधी का खाली जमीन पर फरियादिया को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को संत्रासित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत प्रताप को कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सामान्य आशय का गठन कर फरियादी रामसखीबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 07.04.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण रविन्द्र, कल्लू उर्फ नरेन्द्र को भा.द.वि की धारा 294, 323/34, 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादिया रामसखी ने अपने पित प्रकाश के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 13.02.2013 सुबह 7 बजे की बात है कि वह कोमल लोधी की खाली जमीन पर गोवर डालने गई थी तो देखा कि रिवन्द्र व कल्लू दोनो उस जमीन पर जार गाडने के लिये दर्रा बना रहे थे। उसने कहा कि उसके निकलने की रास्ता क्यों बंद कर रहे हो, इसी बात पर से दोनो ने उसे मां बहन की अश्लील गालियां दी और उसने गाली देने से मना

किया तो कल्लू ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गिरने से उसके सिर में मुंदी चोट आई थी। उसे बचाने उसका पित आया तो रिवन्दे ने उसे कुल्हाड़ी की मारी सिर में सामने चोट लगकर खून निकल आया। फरियादिया जब अपने घर आने लगी तो दोनो ने उसका रास्ता रोककर कहा कि इधर गोवर डालने आई तो जान से खतम कर देगे। मौके पर बृगभा लोधी, काशीराम थे जिन्होने घटना देखी है। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 13.02.2013 को सुबह 7 बजे पहाडपुर कोमल लोधी का खाली जमीन पर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत प्रताप को कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादिया रामसखी अ०सा०1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना करीब 3-4 साल पहले की होकर सुबह 7-8 बजे की है। घटना दिनांक को वह कोमल लोधी की खाली जमीन में गोवर डालने गई तो उसने देखा कि रविन्द, कल्लू दोनो उस जमीन पर दर्रा बना रहे थे, उसने कहा कि उसके निकलने के स्थान को बंद क्यों कर रहे हो तो इसी बात को लेकर आरोपीगण उसके साथ गाली गलौच करने लगे थे। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी कल्लू से धक्का मुक्की में जमीन पर गिर गई थी जिससे उसे सिर में मुंदी चोट आ गई थी। जब उसका पति उसे बचाने आया तो आरोपीगण से उसके पति प्रकाश की आरोपीगण से धक्का मुक्की हो गई थी और धक्का मुक्की में पत्थर पर गिर जाने से उन्हें भी चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में प्र.पी.1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था तथा पूछताछ कर उसके बयान लिये थे एवं पुलिस ने उसकी तथा उसके पति प्रकाश की चोटो का इलाज कराया था।

- 07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादिया रामसखीबाई अ०सा1 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि रिवन्द्र ने उसके पित प्रकाश को कुल्हाड़ी की मारी सिर के सामने चोट लगकर खून निकलने लगा। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी पुलिस रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि उसका तथा उसके पित का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है और उन्हें बचाने के लिये असत्य कथन कर रही हैं।
- 08— अभियोजन साक्षी प्रकाश अ०सा०२ ने उनके न्यायालयीन कथनो मे बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 3—4 साल पहले की होकर सुबह 7—8 बजे की है। घटना दिनांक को उसकी पत्नी रामसखीबाई कोमल लोधी की खाली जमीन में गोवर डालने गई तो उसने देखा कि रविन्द, कल्लू दोनो उस जमीन पर जार गाडने के लिये दर्रा बना रहे थे, उसकी पत्नी ने कहा कि निकलने के स्थान को बंद क्यों कर रहे हो तो इसी बात को लेकर आरोपीगण ने उसकी पत्नी के साथ गाली गलौच करने लगे थे। उसकी पत्नी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी कल्लू से धक्का मुक्की में जमीन पर गिर गई थी जिससे उसे सिर में मुंदी चोट आ गई थी, जब वह उसे बचाने आया तो आरोपीगण से उसकी धक्का मुक्की हो गई थी और धक्का मुक्की में पत्थर पर गिर जाने से मुझे भी चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की।
- 09— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी प्रकाश अ०सा०२ से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि जब वह अपनी पत्नी रामसखीबाई को बचाने आया तो रविन्द्र ने उसको को कुल्हाडी की मारी सिर के सामने चोट लगकर खून निकलने लगा। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 4 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। अभियोजन के इस सुझाब को स्वीकार किया कि उसका तथा उसकी पत्नी का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है।
- 10— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी रामसखीबाई तथा आहत प्रकाश द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि धक्का मुक्की मे गिरने से उन्हें चोट आई थी। आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 13.02.2013 को सुबह 7 बजे पहाडपुर कोमल लोधी का खाली जमीन पर सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत प्रताप को कुल्हाडी से

मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपी रविन्द्र, कल्लू उर्फ नरेन्द्र के विरूद्ध धारा 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाडी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 13- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0